

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1836(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 591 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बी.डी.पटेल जनरल हस्पताल, उमरेठ, निकट बस स्टैंड, डाकेर रोड, तालुक-आनंद, खेडा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेठ, तालुका-आनंद, जिला खेडा, गुजरात में बी.डी.पटेल जनरल अस्पताल को चलाने और उपकरणों/उपस्करों, वाहन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए

एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० 299(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० 532 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.डी.पटेल जनरल हस्पताल, उमरेठ, निकट बस स्टैंड, डाकेर रोड, तालुक-आनंद, खेडा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेठ, तालुका-आनंद, जिला खेडा, गुजरात में बी.डी.पटेल जनरल अस्पताल को चलाने और उपकरणों/उपस्करों, वाहन की परियोजना या स्कीम को 20.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 73.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती

[सं. 303/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)